कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail bemetaracmho@yahoo.com

क्रमांक/सीधी भर्ती/स्वास्थ्य/2023/1538 बेमेतरा, दिनांक 29/5/2023

–:: विज्ञापन ::–

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों, अर्हताओं एवं शासन/राज्य स्तर पर समय–समय पर जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ड्रेसर वर्ग–एक, ड्रेसर वर्ग–दो, लैब असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ0ग0 राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से **ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30/05/2023 से दिनांक 13/06/2023 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक** **http://cmho.jobsbemetara.com** लिंक पर आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	योग
1.	भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)	25300–80500 लेवल–6	11	अनारक्षित	4	2	1	1	08
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	2	1	0	0	03
2.	ड्रेसर वर्ग–एक	19500–62000 लेवल–4	19	अनारक्षित	8	3	1	1	13
				अ.ज.जाति	1	0	0	0	01
				अ.जा.	1	1	0	0	02
				अ.पि.व.	3	0	0	0	03
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"	22400–71200 लेवल–5	32	अनारक्षित	21	–	5	0	26
				अ.ज.जाति	3	–	0	0	03
				अ.जा.	0	–	1	0	01
				अ.पि.व.	1	–	1	0	02
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	22400–71200 लेवल–5	06	अनारक्षित	–	3	0	0	03
				अ.ज.जाति	–	0	0	0	00
				अ.जा.	–	1	0	0	01
				अ.पि.व.	–	2	0	0	02
5.	लैब असिस्टेंट	19500–62000 लेवल–4	01	अनारक्षित	1	0	0	0	01
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	0	0	0	0	00
6.	ड्रेसर वर्ग–दो	18000–56900 लेवल–3	01	अनारक्षित	1	0	0	0	01
				अ.ज.जाति	0	0	0	0	00
				अ.जा.	0	0	0	0	00
				अ.पि.व.	0	0	0	0	00

"ब" शैक्षणिक योग्यता :–

पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)	(1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा; एवं समकक्ष डिग्री तथा (2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन। (3) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

ड्रेसर वर्ग–एक	(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; (2) आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये। (4) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"	(1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए; एवं (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिये;
प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट)	(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये;
ड्रेसर वर्ग–दो	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

टीप :–दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।

1. आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

2. भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02), ड्रेसर वर्ग–एक, प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) ड्रेसर वर्ग–दो के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।

2.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष" के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी केवल <u>**पुरूष**</u> उम्मीदवार ही पात्र होगें।

2.2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी केवल <u>**महिला**</u> उम्मीदवार ही पात्र होगें।

3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा–** आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथा संशोधित लागू होगें।

3.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र कमांक 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है उक्त निर्देश लागू होंगें।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे –छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशो के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.3 आयु संबंधी प्रमाण हेतु हाईस्कूल (10वीं) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.4 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश :–

1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) लागू होंगें।
2. अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल/नर्सिंग कौंसिल/फार्मेसी कौंसिल में न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन, आनलाईन आवेदन करने के पूर्व तिथि तक का होना अनिवार्य है।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2022 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
6. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आरक्षित दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत विज्ञापित पदों (फार्मासिस्ट ग्रेड–02 एवं ड्रेसर ग्रेड–1) के अनुरूप वांछित दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होंगे।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होगें। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिविक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।

13. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम-22 सी (1) अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।

14. आवेदक के ऑनलाईन आवेदन उपरांत मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जावेगी, अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

15. आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक या न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

16. भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें अन्य आवश्यक निर्देश एवं चयन प्रकिया के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र-अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा अन्य समस्त जानकारियॉ बेमेतरा जिले के वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** के माध्यम से दी जावेगी।

17. उपरोक्त पदों पर केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही आवेदन मान्य/स्वीकार किये जायेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगी।

18. ऑनलाईन आवेदन **दिनांक 30/05/2023 से दिनांक 12/06/2023 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक** **http://cmho.jobsbemetara.com** लिंक पर किया जा सकता है।

19. ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चाही गई संपूर्ण जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यान से भरा जावे तथा वांछित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से **Upload** करें। **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**

20. **अनर्हताएं :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हताएं होगी :-**

20.1 कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

20.2 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं माना जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये। परंतु आपवादिक मामले में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

20.3 कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे की आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नही है।

20.4 कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया जो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा।

20.5 कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

21. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. विज्ञापन में वांछित समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आवेदन तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है, उसके बाद जारी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

23. ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व भर्ती संबंधी समस्त जानकारी एवं रिक्त पदों की स्थिति संवर्गवार भलि–भांति अवलोकन कर लेवें।

24. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

25. मेरिट में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

26. **चयन प्रकिया/चयन हेतु मापदण्ड :–** संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, के पत्र कमांक/स्था.अवि./02/2023/26 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार विभिन्न पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों का निर्धारण किया गया है, तदनुसार शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत, तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों का 45 प्रतिशत एवं अनुभव का 15 अंक कुल 100 अंक आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी

26.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), एवं ड्रेसर ग्रेड–1 के सीधी भर्ती पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

26.2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), ड्रेसर ग्रेड–1 पद हेतु तकनीकी योग्यता के कुल प्राप्तांकों का 45 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

26.3 फार्मासिस्ट ग्रेड–2 पद हेतु तकनीकी योग्यता फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री में कुल प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

26.4 ड्रेसर ग्रेड–02 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 10 वीं के प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

26.5 लैब असिस्टेंट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12 वीं के प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत अंक प्रावधानित है।

26.6 छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, के संशोधन आदेश कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03 फरवरी 2023 अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को आवेदित पद पर ही कार्य करने पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र **Upload** किया जाना अनिवार्य होगा।)

26.7 छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त कार्यरत संविदा/अस्थाई/जे.डी.एस./डी.एम.एफ./एन.एच.एम. अंतर्गत् प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक के मान से अधिकतम 05 पूर्ण वर्ष हेतु 15 अंक, अनुभव अंक प्रदाय किया जावेगा, बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया हो, उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र होना चाहिए। (उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)

26.8 संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 के पत्र कमांक/स्था.अवि./04/2023/23 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 10/01/2023 अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी को 10 अंक बोनस एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त अभ्यर्थी को 03 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु अधिकतम 05 पूर्ण वर्ष हेतु 15 अंक प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार एक ही अभ्यर्थी को दोनों प्रकार का अनुभव (सामान्य समय में नियुक्ति का अनुभव एवं कोविड काल में नियुक्ति पर 10 बोनस) अंक नहीं दिया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुभव का कुल अंक, 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

26.9 विभागीय भर्ती नियम–2013 एवं संशोधित नियम–2020 में विहित प्रावधानों एवं संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, के पत्र कमांक/स्था.अवि./02/2023/26 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार विभिन्न पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के निर्धारण अनुसार शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत, तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों का 45 प्रतिशत एवं अनुभव का 15 अंक कुल 100 अंक आधार पर मेरिट सूची तैयार

की जावेगी। मेरिट के आधार पर 1:10 में संवर्गवार अभ्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के निरीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत मेरिट के आधार पर चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी की जोवगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को **माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01/05/2023 अनुसार** राज्य में नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

26.10 अभ्यार्थी के दस्तावेज/प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

26.11 उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी।

ऑन लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश :–

27.1 ऑनलाईन आवेदन करने हेतु **http://cmho.jobsbemetara.com** लिंक में जाकर **Apply Now** ऑपश्न में जायें फिर **CMHO Bemetara** ऑपश्न में क्लीक कर संबंधित पद का चयन कर आवेदन करें।

27.2 आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं एवं दिशा–निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें, तत्पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करें।

27.3 ऑनलाईन आवेदन भरते समय पूर्णतः सावधानी रखें, वांछित जानकारी सही–सही भरें, एवं वांछित दस्तवजों को यथा :– नवीनतम कलर फोटो, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र का **Upload** करें।

27.4 आवेदन भरने के पश्चात् **Submit** कर आवेदन का प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रखें, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

27.5 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की सूची प्राप्त होने पर जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन एवं निर्णय उपरांत मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

28. **निर्वचन :–** विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विभागीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)